

"कॉर्पोरेट/गैर-व्यक्तियों" के लिए सीकेवाईसी हेतु अतिरिक्त सूचना

\* अनिवार्य क्षेत्र इंगित करता है

इकाई का नाम\*:- \_\_\_\_\_

इकाई की संविधान संहिता\*: \_\_\_\_\_

निगमन/गठन का स्थान\*:- \_\_\_\_\_

निगमन/गठन का देश\*:- \_\_\_\_\_

संबंधित पार्टियों की कुल संख्या\*: \_\_\_\_\_

संस्था की सीकेवाईसी संख्या (यदि उपलब्ध हो): \_\_\_\_\_

व्यवसाय प्रारंभ करने की तिथि:- \_\_\_\_\_

टिन या इसके समकक्ष जारी करने वाला देश:- \_\_\_\_\_

टिन/जीएसटी पंजीकरण संख्या: \_\_\_\_\_

डाक का पता/इकाई का स्थानीय पता\*\*:- (यदि एओएफ में दिए गए पंजीकृत पते से भिन्न है)

संबंधित पार्टी का विवरण प्राप्त करने के लिए सूचना

	संबंधित पार्टी 1	संबंधित पार्टी 2	संबंधित पार्टी 3
संबंधित व्यक्ति की ग्राहक आईडी*:-			
संबंधित व्यक्ति का नाम*:-			
संबंधित व्यक्ति का प्रकार*:-			
निदेशक पहचान संख्या:- (अनिवार्य, यदि संबंधित व्यक्ति का प्रकार "निदेशक" है):			

संबंधित व्यक्ति का सीकेवाईसी नंबर (यदि सीबीएस में उपलब्ध हो):-			
--	--	--	--

### आवेदक की घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और मैं इनमें हुए किसी भी परिवर्तन के बारे में तत्काल सूचित करने का वचन देता हूं. यदि उपरोक्त में से कोई भी जानकारी झूठी या असत्य या भ्रामक या गलत तरीके से प्रस्तुत किए जाने पर मुझे पता है कि मुझे इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है. मैं एतद् द्वारा पंजीकृत नंबर/ईमेल पते पर एसएमएस/ईमेल के माध्यम से केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री से जानकारी प्राप्त करने की सहमति देता हूं.

हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

दिनांक

स्थान

## सामान्य निर्देश:-

### 1. कॉर्पोरेट का संविधान कोड:- (कृपया नीचे दिए गए कोड में से किसी एक का चयन करें)

एकल स्वामित्व, पार्टनरशिप फर्म, एचयूएफ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सोसाइटी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स (एओपी) / बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स (बीओआई), ट्रस्ट, लिक्विडेटर, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, आर्टिफिशियल लायबिलिटी पार्टनरशिप, पब्लिक सेक्टर बैंक, सेंट्रल / राज्य सरकार के विभाग/एजेंसी, धारा 8 (कंपनी अधिनियम, 2013), कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, अंतर्राष्ट्रीय संगठन या एजेंसी/विदेशी दूतावास या कांसुलर कार्यालय आदि, अन्य

### 2. संबंधित व्यक्ति का प्रकार:- (कृपया नीचे दिए गए प्रकार में से किसी एक का चयन करें)

निदेशक, प्रमोटर, कर्ता, ट्रस्टी, पार्टनर, कोर्ट द्वारा नियुक्त अधिकारी, स्वामी, लाभार्थी, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, लाभार्थी स्वामी, मुख्तारनामा धारक, अन्य

**3. शाखाओं के लिए नोट:-** संबंधित पार्टियों को जोड़ने के लिए व्यक्तियों की सभी अनिवार्य जानकारी के साथ सीबीएस में अनिवार्य रूप से संबंधित पार्टियों की कस्टमर आईडी बनाई जानी चाहिए. साथ ही, प्रत्येक संबंधित पक्ष के लिए, परिपत्र संख्या एचओ: बीआर:109/226 दिनांक 11.12.2017 के अनुसार "व्यक्तिगत खाते के लिए सीकेवाईसी के लिए अतिरिक्त सूचना प्रपत्र" प्राप्त करें. कृपया 11.12.2017 के बाद मौजूदा सीकेवाईसी टेम्पलेट में किए गए संशोधन के साथ नवीनतम केवाईसी दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राहक से आवश्यक अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करें)

4. \*\*गैर-व्यक्तियों के लिए खाता खोलने के फॉर्म में प्राप्त किए जाने वाले संस्था/कॉर्पोरेट/गैर-व्यक्तियों के पंजीकृत कार्यालय का पता/व्यावसायिक पता. तथापि, यदि डाक का पता/स्थानीय पता पंजीकृत कार्यालय के पते से भिन्न है, तो उसे "कॉर्पोरेट/गैर-व्यक्तियों के सीकेवाईसी के लिए अतिरिक्त जानकारी" में दर्शाये पते पर प्राप्त किया जाना चाहिए.



**General Instructions:-**

**1. Constitution Code of Corporate:- (Please select any one out of the below mentioned Code)**

Sole Proprietorship, Partnership Firm, HUF, Private Limited Company, Public Limited Company, Society, Associations of Persons (AOP)/ Body of Individuals (BOI), Trust, Liquidator, Limited Liability Partnership, Artificial Liability Partnership, Public Sector Banks, Central/State Government Departments/Agency, Section 8 (companies act, 2013), Artificial Juridical Person, International Organization or Agency/Foreign embassy or consular office etc, Others

**2. Related Person Type:- (Please select any one out of the below mentioned Type)**

Director, Promoter, Karta, Trustee, Partner, Court Appointment Official, Proprietor, Beneficiary, Authorized Signatory, Beneficial Owner, Power of Attorney Holder, Other

**3. Note for Branches:** - Related Parties Cust IDs to be mandatorily created in CBS with complete mandatory information for Individual for addition of Related Parties. Also, for each Related Parties, please obtain separate "Additional information form for CKYC for Individual Account" as per circular Number HO:BR:109/226 dated 11.12.2017. Please obtain required additional information from customer as per latest KYC guidelines along with modification done in existing CKYC Template after 11.12.2017).

**4. \*\*Registered Office Address/Place of Business Address of the Entity/Corporate/Non-Individuals to be obtained in the Account Opening Form for Non-Individuals. However, if the Mailing Address/Local Address is different from the Registered Office Address, then, the same must be obtained in the address provided in "Additional information for CKYC for Corporate/ Non Individual".**